नवीकरण प्रमाण पत्र कमांक **133333**

प्रारूप — 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 4379 दिनांक 8-11-18

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण—पत्र

(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या 1859 पत्रावली संख्या एजी—59398 दिनांक 2013-2014

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ~~श्रीमती जसवीरी देवी~~ एजूकेशनल सोसाइटी, पता—ग्राम हामिदपुर पो० सारौल जिला—अलीगढ़। को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र 1378 / 2013—14 दिनांक 14-11-2013 को दिनांक 14-11-2018 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1000 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक 03-11-2018

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 2 सो० फर्म एवं चिट्स—21—11—2014—(1374)—2,00,000 प्रतियां—(क० / टी० / आफसेट)।

OK

सेवा में,

श्रीमान् उपनिबन्धक महोदय,
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
12ए/339 आ0वि0कालोनी सिकन्दरा योजना
आगरा।

विषय – संस्था श्रीमती जसवीरी देवी एजूकेशनल सोसाइटी, ग्राम हामिदपुर, पो0 सारौल, जिला अलीगढ के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

पत्रावली सं0 ए0जी0 59398

महोदय,

निवेदन करना है कि प्रार्थी अपनी संस्था के नवीनीकरण हेतु मूल प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं अन्य कार्यवाही प्रस्तुत कर रहा है।

अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि उक्त संस्था का नवीनीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की कृपा करें।

आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक -2-/11/2018

02/11/18

भवदीय

(कुलदीप अत्री)

प्रबन्धक/सचिव

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संस्था **श्रीमती जसवीरी देवी एजूकेशनल सोसाइटी, ग्राम हामिदपुर, पो0 सारौल, जिला अलीगढ** को भारत सरकार, राज्य सरकार, एम.पी., एम.एल.सी., एम.एल.ए. आदि वित्तीय संस्थाओं से कोई ऋण/अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। संस्था किसी विभाग से ब्लैक लिस्ट नहीं है।

कार्य कलापों का विवरण –

संस्था अपने नाम और उद्देश्यों के तहत ही विद्यालय का संचालन कर रही है संस्था के पास कोई अन्य सम्पत्ति नहीं है ।

भवदीय

(कुलदीप अत्री)
प्रबन्धक/सचिव

चुनाव कार्यवाही की नकल

आज दिनांक 31/10/2018 प्रातः 11 बजे साधारण सभा की एक विशेष बैठक संस्था **श्रीमती जसवीरी देवी एजूकेशनल सोसाइटी, ग्राम हामिदपुर, पो0 सारौल, जिला अलीगढ** कार्यालय पर संस्था सभा अध्यक्ष श्री ओमकार जी की अध्यक्षता में बुलायी गयी। बैठक 12 में से 12 सदस्यों की उपस्थिति है। कोरम नियमानुसार पूरा है। अतः बैठक की कार्यवाही सर्वसम्मति से प्रारम्भ की जाती है।

प्रस्ताव संख्या – 1 –

पिछली कार्यवाही की पुष्टि पर विचार – उपस्थित सदस्यों के मध्य संस्था की पिछली कार्यवाही की पुष्टि पढ़कर सुनाई गई जिसे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पास कर उसकी पुष्टि की ।

प्रस्ताव संख्या – 2 –

प्रबन्ध समिति का निर्वाचन कराने पर विचार

उपस्थित सदस्यों के मध्य श्री कुलदीप अत्री जी ने प्रस्ताव रखा कि प्रबंध समिति का चुनाव कार्यकाल पूर्ण हो चुका है इसीलिये नई प्रबंध समिति का चयन कर लिया जाये। प्रस्ताव सभी सदस्यों ने सुना और प्रस्ताव पर निर्णय हुआ कि प्रबंध समिति का चयन सर्व सम्मति से होगा। सर्व सम्मति से चुनाव प्रकिया प्रारम्भ हुयी जिसमें काफी देर विचार विमर्श के उपरान्त साधारण सभा के बहुमत से निम्न लिखित प्रबंध समिति का चयन किया गया जो निम्न प्रकार है–

1–	श्री ओमकार	अध्यक्ष
2–	श्री महेश चन्द्र	उपाध्यक्ष
3–	श्री कुलदीप अत्री	प्रबन्धक/सचिव
4–	श्री सुनील कुमार	उपप्रबन्धक/उपसचिव
5–	श्री रामवीर सिंह	कोषाध्यक्ष
6–	श्री राजीव कुमार	सदस्य
7–	श्री राजीव चौधरी	सदस्य
8–	श्री प्रवेश कुमार	सदस्य
9–	श्री गोपाल सिंह	सदस्य
10–	श्री वेदपाल सिंह	सदस्य
11–	श्री अनिल कुमार	सदस्य
12–	श्री बच्चू सिंह	सदस्य

सर्वसम्मति से प्रबंध समिति में चयनित किया गया ।

मिटिंग में अन्य कोई प्रस्ताव न होने के कारण अध्यक्ष महोदय जी ने सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद देकर सभा समापन की घोषणा की ।

श्रीमती जसवीरी देवी एजूकेशनल सोसाइटी,
ग्राम हामिदपुर, पो0 सारौल, जिला अलीगढ
प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची वर्ष–2014–15

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–	श्री ओमकार	श्री बलवीर सिंह	807 झांझर–5, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर	अध्यक्ष	कृषि
2–	श्री महेश चन्द्र	श्री सौदान सिंह	ग्राम पो0 अहरौला, खैर अलीगढ	उपाध्यक्ष	कृषि
3–	श्री कुलदीप अत्री	श्री जयपाल सिंह चौधरी	11 हामिदपुर खैर, अलीगढ	प्रबन्धक/सचिव	डॉक्टर
4–	श्री सुनील कुमार	श्री नेमपाल	जी–2, महेन्द्रा एन्क्लेव जी ब्लॉक गाजियाबाद	उपप्रबन्धक/उपसचिव	नौकरी
5–	श्री रामवीर सिंह	श्री सूखा सिंह	122 हामिदपुर खैर, अलीगढ	कोषाध्यक्ष	से0नि0
6–	श्री राजीव कुमार	श्री इन्द्रपाल सिंह	129, कलाखुरी, खुर्जा बुलन्दशहर	सदस्य	कृषि
7–	श्री राजीव चौधरी	श्री चन्द्रपाल सिंह	158 ख्वाजापुर जेवर, गौतमबुद्धनगर	सदस्य	व्यापार
8–	श्री प्रवेश कुमार	श्री भगवान सिंह	248, माजरा दुबलधन बेरी, झज्जर	सदस्य	कृषि
9–	श्री गोपाल सिंह	श्री राजवीर सिंह	सी–83, इन्द्रपुरी, मथुरा	सदस्य	अध्ययनरत
10–	श्री वेदपाल सिंह	श्री हुकम सिंह	साईट–25/26 डोर नं0 2, गंगा माँ सर्किल, बैंगलौर	सदस्य	नौकरी
11–	श्री अनिल कुमार	श्री राजवीर सिंह	70 चरौरा, बुलन्दशहर	सदस्य	कृषि
12–	श्री बच्चू सिंह	श्री फूल सिंह	102/4, एस्टैंड अपार्टमेंट, इन्द्रपुरम, गाजियाबाद	सदस्य	नौकरी

श्रीमती जसवीरी देवी एजूकेशनल सोसाइटी,
ग्राम हामिदपुर, पो0 सारौल, जिला अलीगढ
प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची वर्ष–2015–16

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–	श्री ओमकार	श्री बलवीर सिंह	807 झांझर–5, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर	अध्यक्ष	कृषि
2–	श्री महेश चन्द्र	श्री सौदान सिंह	ग्राम पो0 अहरौला, खैर अलीगढ	उपाध्यक्ष	कृषि
3–	श्री कुलदीप अत्री	श्री जयपाल सिंह चौधरी	11 हामिदपुर खैर, अलीगढ	प्रबन्धक/ सचिव	डॉक्टर
4–	श्री सुनील कुमार	श्री नेमपाल	जी–2, महेन्द्रा एन्क्लेव जी ब्लॉक गाजियाबाद	उपप्रबन्धक /उपसचिव	नौकरी
5–	श्री रामवीर सिंह	श्री सूखा सिंह	122 हामिदपुर खैर, अलीगढ	कोषाध्यक्ष	से0नि0
6–	श्री राजीव कुमार	श्री इन्द्रपाल सिंह	129, कलाखुरी, खुर्जा बुलन्दशहर	सदस्य	कृषि
7–	श्री राजीव चौधरी	श्री चन्द्रपाल सिंह	158 ख्वाजापुर जेबर, गौतमबुद्धनगर	सदस्य	व्यापार
8–	श्री प्रवेश कुमार	श्री भगवान सिंह	248, माजरा दुबलधन बेरी, झज्जर	सदस्य	कृषि
9–	श्री गोपाल सिंह	श्री राजवीर सिंह	सी–83, इन्द्रपुरी, मथुरा	सदस्य	अध्ययनरत
10–	श्री वेदपाल सिंह	श्री हुकम सिंह	साईट–25/26 डोर नं0 2, गंगा माँ सर्किल, बैंगलौर	सदस्य	नौकरी
11–	श्री अनिल कुमार	श्री राजवीर सिंह	70 चरौरा, बुलन्दशहर	सदस्य	कृषि
12–	श्री बच्चू सिंह	श्री फूल सिंह	102/4, एस्टैंड अपार्टमेंट, इन्द्रपुरम, गाजियाबाद	सदस्य	नौकरी

श्रीमती जसवीरी देवी एजूकेशनल सोसाइटी,
ग्राम हामिदपुर, पो0 सारौल, जिला अलीगढ
प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची वर्ष–2016–17

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–	श्री ओमकार	श्री बलवीर सिंह	807 झांझर–5, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर	अध्यक्ष	कृषि
2–	श्री महेश चन्द्र	श्री सौदान सिंह	ग्राम पो0 अहरौला, खैर अलीगढ	उपाध्यक्ष	कृषि
3–	श्री कुलदीप अत्री	श्री जयपाल सिंह चौधरी	11 हामिदपुर खैर, अलीगढ	प्रबन्धक/ सचिव	डॉक्टर
4–	श्री सुनील कुमार	श्री नेमपाल	जी–2, महेन्द्रा एन्क्लेव जी ब्लॉक गाजियाबाद	उपप्रबन्धक /उपसचिव	नौकरी
5–	श्री रामवीर सिंह	श्री सूखा सिंह	122 हामिदपुर खैर, अलीगढ	कोषाध्यक्ष	से0नि0
6–	श्री राजीव कुमार	श्री इन्द्रपाल सिंह	129, कलाखुरी, खुर्जा बुलन्दशहर	सदस्य	कृषि
7–	श्री राजीव चौधरी	श्री चन्द्रपाल सिंह	158 ख्वाजापुर जेबर, गौतमबुद्धनगर	सदस्य	व्यापार
8–	श्री प्रवेश कुमार	श्री भगवान सिंह	248, माजरा दुबलधन बेरी, झज्जर	सदस्य	कृषि
9–	श्री गोपाल सिंह	श्री राजवीर सिंह	सी–83, इन्द्रपुरी, मथुरा	सदस्य	अध्ययनरत
10–	श्री वेदपाल सिंह	श्री हुकम सिंह	साईट–25/26 डोर नं0 2, गंगा माँ सर्किल, बैंगलौर	सदस्य	नौकरी
11–	श्री अनिल कुमार	श्री राजवीर सिंह	70 चरौरा, बुलन्दशहर	सदस्य	कृषि
12–	श्री बच्चू सिंह	श्री फूल सिंह	102/4, एस्टेंड अपार्टमेंट, इन्द्रपुरम, गाजियाबाद	सदस्य	नौकरी

श्रीमती जसवीरी देवी एजूकेशनल सोसाइटी,
ग्राम हामिदपुर, पो0 सारौल, जिला अलीगढ
प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची वर्ष–2017–18

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–	श्री ओमकार	श्री बलवीर सिंह	807 झांझर–5, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर	अध्यक्ष	कृषि
2–	श्री महेश चन्द्र	श्री सौदान सिंह	ग्राम पो0 अहरौला, खैर अलीगढ	उपाध्यक्ष	कृषि
3–	श्री कुलदीप अत्री	श्री जयपाल सिंह चौधरी	11 हामिदपुर खैर, अलीगढ	प्रबन्धक/ सचिव	डॉक्टर
4–	श्री सुनील कुमार	श्री नेमपाल	जी–2, महेन्द्रा एन्क्लेव जी ब्लॉक गाजियाबाद	उपप्रबन्धक /उपसचिव	नौकरी
5–	श्री रामवीर सिंह	श्री सूखा सिंह	122 हामिदपुर खैर, अलीगढ	कोषाध्यक्ष	से0नि0
6–	श्री राजीव कुमार	श्री इन्द्रपाल सिंह	129, कलाखुरी, खुर्जा बुलन्दशहर	सदस्य	कृषि
7–	श्री राजीव चौधरी	श्री चन्द्रपाल सिंह	158 ख्वाजापुर जेबर, गौतमबुद्धनगर	सदस्य	व्यापार
8–	श्री प्रवेश कुमार	श्री भगवान सिंह	248, माजरा दुबलधन बेरी, झज्जर	सदस्य	कृषि
9–	श्री गोपाल सिंह	श्री राजवीर सिंह	सी–83, इन्द्रपुरी, मथुरा	सदस्य	अध्ययनरत
10–	श्री वेदपाल सिंह	श्री हुकम सिंह	साईट–25/26 डोर नं0 2, गंगा माँ सर्किल, बैंगलौर	सदस्य	नौकरी
11–	श्री अनिल कुमार	श्री राजवीर सिंह	70 चरौरा, बुलन्दशहर	सदस्य	कृषि
12–	श्री बच्चू सिंह	श्री फूल सिंह	102/4, एर्स्टेंड अपार्टमेंट, इन्द्रपुरम, गाजियाबाद	सदस्य	नौकरी

श्रीमती जसवीरी देवी एजूकेशनल सोसाइटी,
ग्राम हामिदपुर, पो0 सारौल, जिला अलीगढ
प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची वर्ष–2018–19

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–	श्री ओमकार	श्री बलवीर सिंह	807 झांझर–5, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर	अध्यक्ष	कृषि
2–	श्री महेश चन्द्र	श्री सौदान सिंह	ग्राम पो0 अहरौला, खैर अलीगढ	उपाध्यक्ष	कृषि
3–	श्री कुलदीप अत्री	श्री जयपाल सिंह चौधरी	11 हामिदपुर खैर, अलीगढ	प्रबन्धक/ सचिव	डॉक्टर
4–	श्री सुनील कुमार	श्री नेमपाल	जी–2, महेन्द्रा एन्क्लेव जी ब्लॉक गाजियाबाद	उपप्रबन्धक /उपसचिव	नौकरी
5–	श्री रामवीर सिंह	श्री सूखा सिंह	122 हामिदपुर खैर, अलीगढ	कोषाध्यक्ष	से0नि0
6–	श्री राजीव कुमार	श्री इन्द्रपाल सिंह	129, कलाखुरी, खुर्जा बुलन्दशहर	सदस्य	कृषि
7–	श्री राजीव चौधरी	श्री चन्द्रपाल सिंह	158 ख्वाजापुर जेवर, गौतमबुद्धनगर	सदस्य	व्यापार
8–	श्री प्रवेश कुमार	श्री भगवान सिंह	248, माजरा दुबलधन बेरी, झज्जर	सदस्य	कृषि
9–	श्री गोपाल सिंह	श्री राजवीर सिंह	सी–83, इन्द्रपुरी, मथुरा	सदस्य	अध्ययनरत
10–	श्री वेदपाल सिंह	श्री हुकम सिंह	साईट–25/26 डोर नं0 2, गंगा माँ सर्किल, बैंगलौर	सदस्य	नौकरी
11–	श्री अनिल कुमार	श्री राजवीर सिंह	70 चरौरा, बुलन्दशहर	सदस्य	कृषि
12–	श्री बच्चू सिंह	श्री फूल सिंह	102/4, एस्टैंड अपार्टमेंट, इन्द्रपुरम, गाजियाबाद	सदस्य	नौकरी

श्रीमती जसवीरी देवी एजूकेशनल सोसाइटी, ग्राम हामिदपुर, पो0 सारौल, जिला अलीगढ

साधारण सभा के सदस्यों की सूची वर्ष–2018–19

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	सदस्यता	व्यवसाय
1–	श्री ओमकार	श्री बलवीर सिंह	807 झांझर–5, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर	साधारण	कृषि
2–	श्री महेश चन्द्र	श्री सौदान सिंह	ग्राम पो0 अहरौला, खैर अलीगढ	साधारण	कृषि
3–	श्री कुलदीप अत्री	श्री जयपाल सिंह चौधरी	11 हामिदपुर खैर, अलीगढ	साधारण	डॉक्टर
4–	श्री सुनील कुमार	श्री नेमपाल	जी–2, महेन्द्रा एन्क्लेव जी ब्लॉक गाजियाबाद	साधारण	नौकरी
5–	श्री रामवीर सिंह	श्री सूखा सिंह	122 हामिदपुर खैर, अलीगढ	साधारण	से0नि0
6–	श्री राजीव कुमार	श्री इन्द्रपाल सिंह	129, कलाखुरी, खुर्जा बुलन्दशहर	साधारण	कृषि
7–	श्री राजीव चौधरी	श्री चन्द्रपाल सिंह	158 ख्वाजापुर जेबर, गौतमबुद्धनगर	साधारण	व्यापार
8–	श्री प्रवेश कुमार	श्री भगवान सिंह	248, माजरा दुबलधन बेरी, झज्जर	साधारण	कृषि
9–	श्री गोपाल सिंह	श्री राजवीर सिंह	सी–83, इन्द्रपुरी, मथुरा	साधारण	अध्ययनरत
10–	श्री वेदपाल सिंह	श्री हुकम सिंह	साईट–25/26 डोर नं0 2, गंगा माँ सर्किल, बैंगलौर	साधारण	नौकरी
11–	श्री अनिल कुमार	श्री राजवीर सिंह	70 चरौरा, बुलन्दशहर	साधारण	कृषि
12–	श्री बच्चू सिंह	श्री फूल सिंह	102/4, एस्टैंड अपार्टमेंट, इन्द्रपुरम, गाजियाबाद	साधारण	नौकरी

SMT. JASVEERI DEVI EDUCATIONAL SOCIETY

VILL. HAMIDPUR, POST SAROL, DIST. ALIGARH

Receipts & Payment Account

(For the year ending on 31-03-2014)

Receipts	Amount	Paymets	Amount
By Balance B/d	0.00	To stationery Exp.	1463.00
By Subscraption	3560.00	To Meting Exp.	740.00
By Membershipe Fee	3000.00	To Teacher Salry	9820.00
By School	12580.00	ToCultura Program	1250.00
		To Misc Exp	635.00
		To Furniture	4580.00
		To Balance C/d	652.00
Total	19140.00	Total	19140.00

For & on behalf of

BALANCE SHEET AS ON 31-3-2014

Liabilities		Amount	Assets	Amount
Corpus Fund Opening Balance Add Excess of Income over Expenditure	45652.00	45652.00	Furniture Cash in Hand	45000.00 652.00
Total		45652.00	Total	45652.00

For & on behalf of

SMT. JASVEERI DEVI EDUCATIONAL SOCIETY

VILL. HAMIDPUR, POST SAROL, DIST. ALIGARH

Receipts & Payment Account

(For the year ending on 31-03-2015)

Receipts	Amount	Paymets	Amount
By Balance B/d	652.00	To stationery Exp.	2890.00
By Subscraption	1760.00	To Meting Exp.	1650.00
By Membershipe Fee	3000.00	To Teacher Salry	18140.00
By School	25250.00	ToCultura Program	4250.00
		To Misc Exp	2560.00
		To Balance C/d	1172.00
Total	**30662.00**	**Total**	**30662.00**

For & on behalf of

BALANCE SHEET AS ON 31-3-2015

Liabilities		Amount	Assets	Amount
Corpus Fund			Furniture	45000.00
Opening Balance	45652.00		Cash in Hand	1172.00
Add Excess of Income over Expenditure	520.00	46172.00		
Total		**46172.00**	**Total**	**46172.00**

For & on behalf of

SMT. JASVEERI DEVI EDUCATIONAL SOCIETY

VILL. HAMIDPUR, POST SAROL, DIST. ALIGARH

Receipts & Payment Account

(For the year ending on 31-03-2016)

Receipts	Amount	Paymets	Amount
By Balance B/d	1172.00	To stationery Exp.	1560.00
By Subscraption	1680.00	To Meting Exp.	1420.00
By Membershipe Fee	3000.00	To Teacher Salry	25650.00
By School	28250.00	ToCultura Program	2560.00
		To Misc Exp	1250.00
		To Balance C/d	1662.00
Total	**34102.00**	**Total**	**34102.00**

For & on behalf of

BALANCE SHEET AS ON 31-3-2016

Liabilities		Amount	Assets	Amount
Corpus Fund			Furniture	45000.00
Opening Balance	46172.00		Cash in Hand	1662.00
Add Excess of Income over Expenditure	490.00	46662.00		
Total		**46662.00**	**Total**	**46662.00**

For & on behalf of

SMT. JASVEERI DEVI EDUCATIONAL SOCIETY

VILL. HAMIDPUR, POST SAROL, DIST. ALIGARH

Receipts & Payment Account

(For the year ending on 31-03-2017)

Receipts	Amount	Paymets	Amount
By Balance B/d	1662.00	To stationery Exp.	2890.00
By Subscraption	1760.00	To Meting Exp.	1650.00
By Membershipe Fee	3000.00	To Teacher Salry	17360.00
By School	24350.00	ToCultura Program	4250.00
		To Misc Exp	2560.00
		To Balance C/d	2062.00
Total	30772.00	Total	30772.00

For & on behalf of

BALANCE SHEET AS ON 31-3-2017

Liabilities		Amount	Assets	Amount
Corpus Fund			Furniture	45000.00
Opening Balance	46662.00		Cash in Hand	2062.00
Add Excess of Income	400.00	47062.00		
over Expenditure				
Total		47062.00	Total	47062.00

For & on behalf of

SMT. JASVEERI DEVI EDUCATIONAL SOCIETY

VILL. HAMIDPUR, POST SAROL, DIST. ALIGARH

Receipts & Payment Account

(For the year ending on 31-03-2018)

Receipts	Amount	Paymets	Amount
By Balance B/d	2062.00	To stationery Exp.	2920.00
By Subscraption	4750.00	To Meting Exp.	1680.00
By Membershipe Fee	3000.00	To Teacher Salry	21200.00
By School	25620.00	ToCultura Program	4120.00
		To Misc Exp	2850.00
		To Balance C/d	2662.00
Total	35432.00	Total	35432.00

For & on behalf of

BALANCE SHEET AS ON 31-3-2018

Liabilities		Amount	Assets	Amount
Corpus Fund			Furniture	45000.00
Opening Balance	47062.00		Cash in Hand	2662.00
Add Excess of Income	600.00	47662.00		
over Expenditure				
Total		47662.00	Total	47662.00

For & on behalf of

संख्या 6461 पत्रावली सं०- [illegible] 5838 दिनांक 14-11-13

सोसाइटी–रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण–पत्र

(अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन)

संख्या 1378 20 13 – 20 14

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जसवीरी देवी एजूकेशनल सोसाइटी ग्राम – हमिदपुर पो०- सारसौल जिला – अलीगढ़।

को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई० के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण-पत्र 13/11/2018 तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक 14 नवम्बर दो हजार तेरह को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश

श्री [illegible] देवी / [illegible] सचिव

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

97AB 901503

यह अनुबद्ध स्टाम्प पेपर श्रीमती [illegible] देवी [illegible]/
[illegible] पुर [illegible]/
जिला [illegible] फाइल नं. [illegible] 59398
[illegible] के साथ संलग्न है।

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश, आगरा

[illegible]

उप नियन्त्रक

[illegible]

2/1/13

8060

12-11-13

नकल

श्रीमती जगवीरी देवी मधुकेश्वर सोसायटी अलीगढ़

स्टाम्प का मूल्य 10

17

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH　　　　97AB 901504

यह अनरल स्टाम्प पेपर श्रीमती जसवीरी देवी एजूकेशनल सोसायटी / ग्राम हथिनपुर, पो. ... / जिला अलीगढ़ फाइल नं. 59398 के द्वारा प्रमाणित है।

नियमावली

कार्यालय उप निबन्धक ... सत्यमेव जयते ... उत्तर प्रदेश, आगरा

उप निबन्धक

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

आगरा

2/1/13

8061

12-11-12

नकल

श्रीमती ... देवी -8060

(0)

17

स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम – श्रीमती जसवीरी देवी एजूकेशनल सोसाइटी
2. संस्था का पता – ग्राम हामिदपुर पो0 सारौल, जिला अलीगढ़
3. संस्था का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा

4– संस्था के उद्देश्य – संस्था के निम्न लिखित उद्देश्य होंगे –

1. समिति के उद्देश्य शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्य क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टर कालेज आवश्यकता होने पर डिग्री कालेज, तकनीकी संस्थान, मदरसा तथा तकनीकी शिक्षा दूरस्थ शिक्षा, ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षा इंजीनियरिंग संस्थानों, से सम्बन्धित शोध कार्य आदि की निःशुल्क स्थापना करना और उनका विधिवत संचालन कर बालक, युवक, युवतियों को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना ।
2. समिति का उद्देश्य निर्धन, अनाथ, अपंग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था तथा उन्हें छात्रवृत्तियां दिलाना व उनकी सुविधा हेतु निःशुल्क पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, क्रीड़ा केन्द्रों की स्थापना करना ।
3. असहाय बच्चों को शैक्षणिक, भरण पोषण तथा उन्हें योग्य बनाने हेतु प्रयास करना और निःशुल्क स्वास्थ्य केन्द्रों, बाल आश्रम, वृद्धा आश्रम व शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना ।
4. केन्द्रीय व राज्य सरकार, निगम बोर्ड, संबंधित विभागों के वित्तीय सहयोग से लोगों के कल्याण हेतु सुलभ प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, हस्तशिल्पकला, वस्तुकला, दस्तकारी, दरी कालीन, ड्राइंग पेंटिंग, कला प्रशिक्षण तथा टंकण, आशुलिपि, कम्प्यूटर, साफ्टवेयर, हार्डवेयर नेटवर्किंग एवं फैशन डिजाइनिंग एवं ब्यूटीशियन आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण देकर/~~शिक्षा आदि~~ उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनमें जागरूकता पैदा करना ।
5. महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, मातृ शिशु पोषण, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, बाल टीकाकरण कार्यक्रमों, धमार्थ चिकित्सालय आदि को चलाना व उनके कल्याण हेतु सरकार की रोजगारपरक प्रशिक्षण देना एवं निःशुल्क योग व प्राकृतिक चिकित्सा प्रदान कराना ।
6. सभी प्रकार की बीमारियों की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना तथा निःशुल्क दवाओं का वितरण करना तथा उस पर शोध कार्य करना ।
7. नागरिकों में सामाजिक जन चेतना जागृत करना एवं विज्ञापन, पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से एड्स से बचने के उपाय सुझाना एवं एड्स पर प्रभावी अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करना और उनका साथ केन्द्र सरकार और विदेशी एजेन्सियों से पूर्ण सहायता लेना एवं संस्था के उद्देश्यों के प्रचार–प्रसार के लिये पत्रिका, इंटरनेट इत्यादि एवं शासन–प्रशासन की सहायता लेना ।
8. संस्था का उद्देश्य पेयजल समस्या को दूर करने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना जगह जगह हैंडपंप लगवाना, पानी की टंकी की स्थापना करना तथा स्वजल धारा, पेयजल की पूर्ण व्यवस्था करना तथा खारे पानी व फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में वाटर फिल्टर पम्पों की व्यवस्था करना ।
9. नागरिकों के कल्याणार्थ वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं का सफल संचालन व उनकी उन्हें जानकारी देना ।
10. संस्था का उद्देश्य भ्रुण हत्या रोकने का प्रयास करना तथा पर्यावरण के शुद्धीकरण हेतु पॉलीथीन की प्रति लोगों को जागरूक करना ।
11. नेत्र चिकित्सा शिविरों, रक्तदान शिविरों के आयोजन शासन प्रशासन की सक्षम अनुमति के उपरांत करना ।
12. दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूकम्प, आगजनी, एक्सीडेंट आदि के समय पीड़ित जनता के मध्य राहत कार्य करना, उन्हें निःशुल्क दवा भोजन, वस्तु आदि की मदद पहुँचाना।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मंडल, आगरा
21/1/13

13. समाज के अपेक्षित लोगों जैसे अंधे, कुष्ठरोग व मूक बधिरों, विकलांगों व निराश्रित लाचार, वृद्धजनों के कल्याण के लिए कार्य करना व बालाश्रम, अनाथालय एवं वृद्धाश्रम की स्थापना करना और समय–समय पर दूध, वस्त्र, अनाज, कम्बल, फलों व दवाओं का निःशुल्क वितरण करना एवं रैन बसेरों, शौचालयों तथा पीने के लिये पानी की व्यवस्था करना ।

14. निर्धन एवं अनाथ लोगों व पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के संबंधित विभागों, मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनीसैफ, इंडको, महिला एवं बाल विकास विभाग, कपार्ट, काई, सिप्सा, नवार्ड, अवार्ड, नौराड, डूडा, सूडा, राष्ट्रीय महिला कोष, बाल विकास पुष्टाहार, महिला कल्याण निगम, वस्तुशिल्प हस्त मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, समाज कल्याण बोर्ड, केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मत्स्य विभाग, राजीव गांधी फाउंडेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, अनुवित्त विकास निगम, उद्योग निदेशालय, लघु उद्योग निदेशालय, अल्प संख्यक आयोग/बोर्ड, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, नेहरू युवा योजना आदि के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को चलाकर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना ।

15. संस्था का उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में ग्रामोद्योग के अन्तर्गत आने वाले लघु व कुटीर उद्योग की स्थापना कर श्रमिकों व बेरोजगारों को निःशुल्क रोजगार की शिक्षा दिलाने का प्रयास करना तथा शिक्षण, प्रशिक्षण हेतु कच्चा माल खरीदना एवं तैयार माल को विक्रय करना प्राप्त आय को संस्था हितार्थ व्यय करना।

16. सरकारी, गैर सरकारी, अर्द्ध–सरकारी विभागों, मंत्रालयों, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी आयोग, निगमों, सरकारी बैंको, राष्ट्रीयकृत बैंकों से आर्थिक सहायता, ऋण व अनुदान सेवा एवं अन्य सहयोग लेना।

17. संस्था का कार्यक्षेत्र वृक्षा रोपण, प्रदूषण नियन्त्रण, जनसंख्या नियन्त्रण केंद्रों, नशाबन्दी कार्यक्रमों, आदि का संचालन करना ।

18. संस्था का उद्देश्य कृषकों को बढ़ावा देना तथा मशरूम की खेती करना, देशी खाद्य, कम्पोज खाद्य, बीज एवं कीटनाशक औषधियों का निर्माण करना तथा निःशुल्क वितरित करना तथा कृषि प्रधान देश में किसानों की सोचनीय दशा को ध्यान में रखते हुये कृषि नीति तैयार करना कृषि उन्नति को बढ़ावा देना। किसानों में भाईचारे की भावना पैदा करना एवं समस्याओं को सुलझाना व शासन, प्रशासन, तक पहुँचाना ।

19. संस्था का उद्देश्य पशुधन जानवरों के निःशुल्क स्वास्थ्य संरक्षण, संवर्धन करना व उनके लिए निःशुल्क पशु चिकित्सालय पशुशाला की व्यवस्था करना व उनके प्रति मानवीय संवेदनाओं को प्रेरित करने व जानकारी हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन करना ।

20. प्रदेश में तेजी से लुप्त मूल प्रजाति गौवंश रक्षा संबर्द्धन विकास व गौशाला की स्थापना करना एवं उसके द्वारा आयोजित सेमिनार आदि में भाग लेना व सहयोग करना ।

21. संस्था का उद्देश्य निःशुल्क दहेज रहित सामूहिक विवाहों का आयोजन करना तथा गरीब, निर्धन कन्याओं की शादी करवाना तथा विधवा परित्यक्ताओं को पुनर्विवाह हेतु प्रोत्साहित करना ।

22. जल प्रबन्धन, कृषि अभियन्त्रण, कृषि रक्षा, कृषि आधारित ग्रामोद्योगों के संबंध में कार्य करना तथा उन्नत कृषि को बढ़ावा देना तथा किसानों को इसके उपाय सुझाना तथा कृषि विकास केन्द्रों की स्थापना हेतु निःशुल्क परामर्श देना।

23. संस्था का उद्देश्य समान उद्देश्य वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना व उनका सहयोग करना।

24. यह सभी उद्देश्य अलाभकारी, अव्यवसायिक होंगे ।

25. यह कि राज्य सरकार/भारत सरकार की विधि द्वारा स्थापित बोर्ड/विश्व विद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों उपाधियों हेतु प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्र न प्रदान किया जायेगा और न ही ऐसे पाठ्यक्रम बिना राज्य सरकार/भारत सरकार की अनुमति के संचालित ही किये जायेंगे ।

2

सत्य प्रतिलिपि
उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मंडल, आगरा

(15)

5. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के नाम, पिता का नाम, पता, पद, व्यवसाय दिये गये हैं जिन्हें कि संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है –

क्र० सं०	नाम	पिता/ पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री ओमकार	श्री बलबीर सिंह	807 आंझर–5, सिकन्दराबाद बुलन्दशहर	अध्यक्ष	कृषि
2	श्री महेश चन्द्र	श्री सौदान सिंह	ग्राम पो० अहरौला, खैर अलीगढ़	उपाध्यक्ष	कृषि
3	श्री कुलदीप अत्री	श्री जयपाल सिंह चौधरी	11 हामिदपुर खैर अलीगढ़	प्रबन्धक/ सचिव	डॉक्टर
4	श्री सुनील कुमार	श्री नेमपाल	जी–2 महेन्द्रा एन्क्लेव जी ब्लॉक गाजियाबाद	उपप्रबन्धक/ उपसचिव	नौकरी
5	श्री रामवीर सिंह	श्री सूखा सिंह	122 हामिदपुर खैर अलीगढ़	कोषाध्यक्ष	से०नि०
6	श्री राजीव कुमार	श्री इन्द्रपाल सिंह	129 कलाखुरी, खुर्जा बुलन्दशहर	सदस्य	कृषि
7	श्री राजीव चौधरी	श्री चन्द्रपाल सिंह	158 ख्वाजपुर जेवर, गौतमबुद्धनगर	सदस्य	व्यापार
8	श्री प्रवेश कुमार	श्री भगवान सिंह	248 माजरा दुबलधन बेरी, झज्जर	सदस्य	कृषि
9	श्री गोपाल सिंह	श्री राजवीर सिंह	सी–83, इन्द्रपुरी मथुरा	सदस्य	अध्ययनरत
10	श्री वेदपाल सिंह	श्री हुकम सिंह	साईट–25/26 डोर नं०–2, गंगा माँ सर्किल, बैंगलौर	सदस्य	नौकरी
11	श्री अनिल कुमार	श्री राजवीर सिंह	70 चरौरा, बुलन्दशहर	सदस्य	कृषि
12	श्री बब्लू सिंह	श्री फूल सिंह	102/4 एस्टेंड अपार्टमेंट, इन्द्रपुरम् गाजियाबाद	सदस्य	नौकरी

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता यह घोषित करते हैं कि हम निम्न स्मृति पत्र व संलग्न नियमावली के अनुसार सोसा० रजि० एक्ट 1860 के अन्तर्गत इस समिति का गठन किया गया है ।

दिनांक : 6-11-13

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा सं०, आगरा
2/11/13

नियमावली

1. संस्था का नाम — श्रीमती जसवीरी देवी एजूकेशनल सोसाइटी
2. संस्था का पता — ग्राम हामिदपुर पो0 सारौल, जिला अलीगढ़
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :— सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था के उद्देश्य :— स्मृति पत्र के अंकितानुसार होंगे
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यता के वर्ग :—
   1. **संरक्षक सदस्य** :— जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 1001/— रूपया सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का संरक्षक सदस्य बनाया जायेगा ।
   2. **आजीवन सदस्य** :— जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 501/— रूपया सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई चल या अचल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।
   3. **साधारण सदस्य** :— जो सज्जन इस संस्था को प्रतिवर्ष 250/— रूपया सदस्यता शुल्क व चंदा के रूप में देगा वह सज्जन इस समिति का साधारण सदस्य बनाया जायेगा।
   4. **विशिष्ट सदस्य** :— ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही हो जो कि संस्था को तन,मन,धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हों व जो विद्वान होंगे, सरकारद्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों को वर्तमान कार्यकारिणी संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनित करेगी और यह सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे और इनकी स्वेच्छा से दिया गया दान, चंदा संस्था को स्वीकार होगा। ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार नहीं होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यों की सख्या 5 से अधिक न होगी।

6. सदस्यता की समाप्ति :—
   1. सदस्य की मृत्यु होने पर, पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।
   2. आचरण भ्रष्ट होने पर एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर।
   3. किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर।
   4. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर।
   5. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना कारण बताये अनुपस्थित होने पर।
   6. त्यागपत्र दिये जाने पर व उसे आम सभा के द्वारा पास होने पर ।
   7. संस्था के अहित में कार्य करने पर ।

7. संस्था के अंग :— (अ) साधारण सभा, (ब) प्रबन्धकारिणी समिति

8. साधारण सभा :— अ. गठन :— साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

   ब. बैठकें :— साधारण सभा की साधारण बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकता अनुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलायी जा सकती है।

   स. सूचना अवधि :— साधारण सभा की साधारण सभा की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठकों की सूचना 3 दिन पूर्व सूचना के किसी उचित या पर्याप्त माध्यम से दी जायेगी ।

   द. गणपूर्ति :— गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

   य. विशेष वार्षिक अधिवेषन की तिथि :— संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेषन प्रतिवर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से तय की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

आगरा मं०, आगरा

2/1/13

(2)

र. **साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :–**

1. संस्था की प्रबन्ध समिति का समय–समय पर चुनाव सम्पन्न करवाना।
2. नियमों–विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कराना।
3. वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करना।

9. **प्रबन्धकारिणी समिति :–**

अ. गठन :– प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारण सभा में से 2/3 बहुमत से 12 सदस्यों को चुनकर किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/सचिव, एक उपप्रबन्धक/उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष, शेष सदस्य होंगे। प्रबन्ध समिति में सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है जो कि कम से कम 7 व अधिकतम 15 होगी।

ब. बैठकें :– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में 2 बार तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

स. **सूचना अवधि** :– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सदस्यों को एक दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित माध्यम से दी जायेगी ।

द. **गणपूर्ति** :– गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

य. **रिक्त स्थान की पूर्ति** :– प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त होता है तो इस स्थान/पद की पूर्ति साधारण सभा के 2/3 बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति में से शेष कार्यकाल के लिये कर ली जायेगी।

र. **प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :–**

1. संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादो को सुलझाना।
2. नियमों–विनियमों में संशोधन–परिवर्तन, परिबर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत करना।
3. वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना।
4. संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों, प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिको आदि से दान, चन्दा, ऋण, अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना तथा प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ चैरिटेबिल कार्यों में व्यय करना।
5. सस्था के विकास हेतु उप इकाईयों एवं उप समितियों की स्थापना/गठन करना व उनका संचालन करना ।

ल– **कार्यकाल** :– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

10. **पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :–**

1. अध्यक्ष –

2. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना।
3. मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत होने की दशा में अपना निर्णायक मत देना।
4. संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना तथा संस्था की आम देखभाल करना।

2. उपाध्यक्ष –

1. अध्यक्ष की अनुपस्थित में उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना ।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

आगरा मंडल, आगरा

21/1/17

(3)

2. सामान्य स्थिति में अध्यक्ष के कार्यों में उनका सहयोग करना ।

3. प्रबन्धक/सचिव

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना।
2. संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना।
3. संस्था की चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान–अनुदान तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय सम्पत्ति व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना । प्राप्त आय को संस्था के कोष में जमा करना ।
4. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना ।
5. संस्था के अन्तर्गत संचालित संस्थानों व विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति , निष्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उनका भुगतान करना, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना।
6. संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण, अनुदान पत्रों, चेकों, ड्राफ्टों, बन्धक विलेखों, बिल वाऊचरों पर हस्ताक्षर करना ।
7. संस्था के विकास हेतु वे सभी आवश्यक कार्य करना जो कि संस्था के उद्देश्य की पूर्ति एवं संस्था के विकास में सहायक हों करना।

4. उपप्रबन्धक/उपसचिव

1. प्रबन्धक/सचिव की उपस्थिति में उनके कार्यों में सहयोग देना।
2. प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा लिखित रूप से सौंपे गये कार्यों को करना।

5. कोषाध्यक्ष

1. संस्था के आय व्यय का लेखा–जोखा रखना व कोष को खाते में जमा करना।
2. प्रबन्धक/सचिव द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व बिल वाऊचरों का भुगतान करना।

11. संस्था के नियमों–विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :–

संस्था के नियमों–विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन सोसा० रजि० अधि० की संगत धारा के अन्तर्गत साधारण सभा की 2/3 बहुमत से करना ।

12. संस्था का कोष व लेखा व्यवस्था :–

संस्था का कोष किसी भी बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा। जिसका संचालन संस्था के अध्यक्ष, प्रबन्धक/सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

13. संस्था का लेखा परिक्षन :–

संस्था का लेखा परिक्षण प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति किसी योग्य ऑडिटर व आवश्यकतानुसार चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा कराया जायेगा।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :–

संस्था द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के प्रबन्धक/ सचिव द्वारा अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

15. संस्था के अभिलेख :–

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. कैश–बुक, रसीद बुक
4. एजेंडा रजिस्टर
5. निरीक्षण रजिस्टर

सत्य प्रतिलिपि
उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मंडल, आगरा
6/2/11/13

(5)

16. **प्रतिबन्ध** –

1– विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

2– विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

3– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से अनुदान की कोई मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फॉर दी इंडीयन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है जो उक्त परिक्षा परिषद से सम्बद्धता समाप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

5– संस्था के शिक्षण/शिक्षणोत्तर, कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जावेंगे ।

6– कर्मचारियों की सेवा शर्तें बताई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

8– शासन की पूर्वानुमति के बिना कोई भी परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं किया जायेगा ।

9– उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी ।

10– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पत्रिकाओं में रखा जायेगा । यदि हॉं तो प्रबन्धकारिणी का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध कम 1 से 10 तक स्वीकार हैं ।

17. **संस्था का विघटन** :–

यदि भविष्य में कभी संस्था का विघटन होता है तो संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक :– (-1-1-) सत्यप्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि
उप निदेशक
... सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा ...
21/1/02